

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- योगेश कुमार डागुर (R.A.S.)

दावा सख्या

रजू दिनांक

निर्णय दिनांक

252/17

06.10.2017

04.04.2019

उनवान

1. अमरसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र भगवाना जाति जोगी निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: वादी

बनाम

- 1 श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला अलवर, राजस्थान।
- 2 तहसीलदार मुण्डावर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा— इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

—: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.04.2019 को योगेश कुमार डागुर, उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

हाल आराजी खसरा नंबर 1416/514 रकबा 0.94 हैक्टेयर एवं 1418/517 रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के बाबत के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम रामसिंह के स्थान पर अमरसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र भगवाना दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.04.2019 को लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.